Seventeenth Series, Vol. XIV No.2

Tuesday, November 30, 2021
Agrahayana 9, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIV contains Nos. 01 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Kamala Subramanian

Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol.XIV, Seventh Session, 2021/1943 (Saka)
No.02, Tuesday, November 30, 2021/Agrahayana 9, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
MEMBER SWORN	10
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 21	11-15
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 22 to 40	16-70
Unstarred Question Nos. 231 to 460	71-713

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

OBSERVATION BY THE SPEAKER 716-717

Appeal to the Members to ensure smooth functioning of the House

PAPERS LAID ON THE TABLE 718-742

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 743

ASSENT TO BILLS 744-746

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

8th and 9th Reports 747

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS

331st to 333rd Reports 748

STATEMENTS BY MINISTER 749-750

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development 749

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development

Sadhvi Niranjan Jyoti 750

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

25th Report 751

HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2021 752

MATTERS UNDER RULE 377 753-781

(i) Regarding development of Khadki Railway station near Pune as a terminal

Shri Girish Bhalchandra Bapat 753

(ii) Need to provide railway connectivity between Left Wing affected areas of Gaya and Aurangabad districts in Bihar and Daltonganj in Jharkhand

Shri Sushil Kumar Singh 754

(iii) Regarding enactment of a law on Parja Patta Rights for Plantation workers

Shri Raju Bista 755

(iv) Need to develop an airport in Sriganganagar, Rajasthan and provide air connectivity to the city under UDAN scheme

Shri Nihal Chand Chouhan 756

(v) Need to set up Skill Development Centres in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Rajbahadur Singh 757

(vi) Need to set up a Cancer Treatment Institute in Gorakhpur, Uttar Pradesh

Shri Ravi Kishan 758

(vii) Need to improve health care system in tribal areas of the country

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 759

(viii) Need to provide funds for development of Mahatma Gandhi Prani Sangrahalaya, Solapur, Maharashtra

Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji 760

(ix) Need to implement Atal Bhujal Yojana in Dausa district, Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 761

(x) Regarding alleged irregularities in construction of NH-91 in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 762-763

(xi)	Regarding a policy for fly ash management **Shri Jagdambika Pal**	764
(xii)	Regarding chairman of governing council of District Mineral Foundation in Maharashtra **Shri Ashok Mahadeorao Nete**	765
(xiii)	Need to accord approval to Jawai dam recharge plan in Rajasthan **Shri P.P. Chaudhary**	766-767
(xiv)	Need to set up a bench of Gujarat High Court at Rajkot **Shri Mohanbhai Kundariya**	768
(xv)	Need to augment railway services providing better rail connectivity from Jamshedpur to other adjoining cities **Shri Bidyut Baran Mahato**	769
(xvi)	Regarding paddy procurement by Government in Assam **Shri Pradyut Bordoloi**	770
(xvii)	Regarding extension of the Pollachi-Thiruchenthur train service upto Palakkad and Pollachi-Palakkad train service upto Palani **Kumari Ramya Haridas**	771

(xviii) Regarding construction of an over-bridge at Valliyur-Rajapudur crossroad

Shri S. Gnanathiraviam 772

(xix) Regarding sanctioning of ENCORE Project in Andhra Pradesh

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 773

(xx) Regarding withdrawal of notification to extend BSF's jurisdiction

Prof. Sougata Ray 774

(xxi) Regarding sanctioning of fund for Mumbai city and Sanjay Gandhi National Park under the Urban Forest Scheme

Shri Gajanan Kirtikar 775

(xxii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Arwal district in Bihar

Shri Chandeshwar Prasad 776

(xxiii) Regarding consideration of Sonepur as Shipping Port in Odisha

Shri Chandra Sekhar Sahu 777

(xxiv) Regarding conservation of ancient genetic diversity in crops and animals

Shri Ritesh Pandey 778

(xxv) Regarding allocation of special fund for Rameswaram to enhance Tourism potential

Shri K. Navaskani 779

(xxvi) Need to expedite Parasnath Madhuban Giridih railway line project

Shri Chandra Prakash Choudhary 780

(xxvii) Regarding construction of a warehouse of Central Warehousing Corporation in Kollam district

Shri N. K. Premachandran 781

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

164th Report 782

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 754

Member-wise Index to Unstarred Questions 755-760

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 761

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 762

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, November 30, 2021/Agrahayana 9, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष *:* आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी शपथ होने दें।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Baalu Ji, you are a senior leader. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please allow the new Member to take oath.

… (*Interruptions*)

11.01 hrs

MEMBER SWORN

HON. SPEAKER : Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar.

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

Shrimati Delkar Kalaben Mohanbhai (Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) - Oath - Hindi

---

… (*Interruptions*)

11.02 hrs

At this stage, Shri Venkatesh Netha Borlakuntha, Shri B.B. Patil and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल ।

प्रश्न संख्या 21, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल।

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ।

(Q. 21)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: माननीय अध्यक्ष महोदय, देसी गौवंश से उपलब्ध होने वाला जो दूध है, उसमें निरन्तर कमी आ रही है ।… (व्यवधान) भारत सरकार ने उस बारे में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। पूरे देश में, हर जगह देसी गौवंश के दूध उत्पादन को लेकर अनेक प्रकार के प्रयोजन किए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है ।… (व्यवधान) अनेक योजनाएं चल रही हैं। मेरे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भी हर जगह गौशालाएं खोली गई हैं। ए-2 मिल्क, जिसकी पूरी दुनिया में और देश में नितांत आवश्यकता महसूस की गई है, विशेष रूप से कोविड के दौरान, जिसमें भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है ।… *(*व्यवधान)

माननीय प्रधानमंत्री जी के क्रांतिकारी कदम के रूप में जो पोषण अभियान चल रहा है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में ए-2 मिल्क… (व्यवधान)

11.04 hrs.

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri T.R. Baalu, Dr. Farooq Abdulla and some other hon. Members left the House.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्नकाल है और मैं आपको प्रश्नकाल में पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय दूँगा । आप यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं, तो कृपया आप चर्चा कीजिए ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन से सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। आप प्रश्नकाल में हंगामा करते हैं। यह उचित नहीं है। यह गलत है । आप प्रश्नकाल में चर्चा कीजिए, प्रश्न पूछिए । इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं ।

… (व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : माननीय अध्यक्ष महोदय**,** विपक्ष की जो यह करतूत दिख रही है। … (व्यवधान) ये किसानों की बात करते हैं। … (व्यवधान) बुंदेलखंड के किसानों का भला इस मोदी सरकार ने किया है। … (व्यवधान) हमारे यहां पानी की जो कमी थी, उसके लिए वहां जो व्यवस्थाएं की हैं, आजादी के बाद आज से पहले कभी नहीं हुई। … (व्यवधान) अभी वर्तमान में माननीय प्रधान मंत्री जी गए थे, वहां 60 हजार हैक्टेयर जमीन हमारे क्षेत्र में सिंचित हुई। … (व्यवधान) मेरा उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। … (व्यवधान) गौवंश को चारा नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। … (व्यवधान) भारत सरकार पहले के जमाने में, भाजपा सरकार के आने से पहले, ट्रेन से पानी भेजने के बारे में सोचती थी। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से देसी गौवंश के ए-2 मिल्क के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। … (व्यवधान) हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी की पोषण अभियान की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हर व्यक्ति और बच्चे को पोषण मिल सके। … (व्यवधान) क्या देसी गौवंश का ए-2 मिल्क राशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की कोई योजना है? … (व्यवधान)

डॉ. संजीव कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है । … (व्यवधान) ए-2 मिल्क का प्रदेश में बहुत महत्व है और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो शहरों में ए-2 मिल्क के लिए एक अलग कल्चर पैदा हुआ है, चाहे उसका दूध हो या घी हो। … (व्यवधान) कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है। … (व्यवधान) गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए। … (व्यवधान) यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। … (व्यवधान)

अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोऑपरेटिव बनाने के लिए 'जायका' स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है । … (व्यवधान) अगर बुंदेलखंड के ए-2 मिल्क के लिए अलग से प्रदेश सरकार से नई कोऑपरेटिव या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का कोई प्रस्ताव आता है, तो केन्द्र सरकार 'जायका' के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है । … (व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है । … (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर गोपालक को 900 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिए जा रहे हैं । … (व्यवधान) देसी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है । … (व्यवधान) हमारे यहां जो अन्ना प्रथा की समस्या थी, उसको लेकर मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लेकर आया था । … (व्यवधान) आपने उस पर बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय पर बात करना चाहता हूं । … (व्यवधान) हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है । … (व्यवधान) एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देसी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है । … (व्यवधान) जब उस गौवंश को

चिकित्सालय ले जाना पड़ता है, तब दूरी ज्यादा होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता है । … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की कोई योजना है जिसमें उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांवों के नजदीक, जहां गांवों में दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों के गौवंश के इलाज के लिए चिकित्सालय उपलब्ध कराने की भारत सरकार की क्या कोई योजना है? … (व्यवधान)

डॉ. संजीव कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, इसे आप मोबाइल वेटरनरी वैन या मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक की स्कीम कह सकते हैं। … (व्यवधान) 2,980 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स पूरे देश में दिए जा रहे हैं, 476 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। … (व्यवधान) उसमें से 520 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उन्हें इलाज की सुविधा मिलेगी। … (व्यवधान) इन मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स को चलाने के लिए 60:40 के रेश्यो में केन्द्र और प्रदेश सरकार आगे मदद करेंगी। … (व्यवधान) यह बहुत बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आंध्र प्रदेश से संबंधित मुद्दे पर चर्चा होनी है। आप सब प्लीज़ अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जिसकी डिमांड कर रहे हैं, उस पर प्रश्न आया है। आप अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए । आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, लेकिन आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों से कहा है कि प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको चर्चा-संवाद करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल में हंगामा करेंगे, तो कैसे सकारात्मक माहौल बनेगा?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उचित नहीं है, आप अच्छा वातावरण बनाइए। मैंने आपकी किसी बात को नहीं माना हो, तो आप वेल में आइए, उसके पहले वेल में आने का क्या तर्क है? यह तर्क उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.22 to 40
Unstarred Question Nos.231 to 460)
(Page No. 15 to 713)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

11.09 hrs

(The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock)

---

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

<u>14.01 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

<u>14.01 ½ hrs</u>

At this stage, Shri B. B. Patil, Dr. Venkatesh Borlakunta and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the hon. Speaker has received notices of Adjournment Motion from Members on different issues. He has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Opportunities to raise your issues will be given to you. Please go back to your seats and any one person will be permitted to raise the issue. It cannot be done like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats. If at all you want to raise some issue, you will be given the time. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 3 p.m.

14.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the clock.

____

15.00 hrs

(The Lok Sabha reassembled at Fifteen of the Clock)

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (व्यवधान)

15.01 hrs

At this stage, Shri Nama Nageswara Rao, Dr. Venkatesh Netha Borlakunta and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

15.02 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Appeal to the Members to ensure smooth functioning of the House

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सदन को सकारात्मक और अच्छे वातावरण में चलाएं। सदन में सकारात्मक चर्चा और संवाद हो। जो जन-प्रतिनिधि हैं, वे अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को सदन में उठाएं। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आग्रह है कि यदि कोई विषय है, तो उस पर आपस में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं पुन: आग्रह करूंगा कि आप सकारात्मक वातावरण में सदन को चलने दें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-3, श्री नित्यान**न्द** राय जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री नित्यान**न्द** राय जी, एक मिनट। अधीर रंजन जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** आप एक मिनट रुक जाइए। अधीर रंजन जी, कृपया बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सदस्य**,** कृपया मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपकी बात भी रखूंगा। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा यह चाहते हैं कि सदन सही ढंग से चले।…(व्यवधान) हम बराबर यह चाहते हैं कि हम आपको सहयोग करें। हम सदन में चना चबाने के लिए नहीं आते हैं, …(व्यवधान) हम सदन के भीतर …(व्यवधान) हवा महल में रहने के लिए नहीं आते हैं।…(व्यवधान) हम सदन में पिकनिक करने के लिए नहीं आते हैं।…(व्यवधान) हम सदन में चर्चा करने के लिए आते हैं और आम लोगों की तकलीफ की बात उठाने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार का भी अपना फर्ज बनता है। यदि सरकार न चाहे, तो हम क्या करें? …(व्यवधान) कल हम चाहते थे कि कृषि कानून पर चर्चा हो, एमएसपी पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं होने दी, इसलिए हमारा दोष नहीं है। …(व्यवधान) यह सरकार का दोष है और यह बात आपको सोचनी चाहिए तथा सरकार को इस हेतु निर्देश देना चाहिए।…(व्यवधान)

15.04 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीयअध्यक्ष :अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 3, श्री नित्यानन्द राय जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4196(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1686(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 4197(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना सं. का.आ.3996(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 4198(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.1318(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 5030/17/21]

(2) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3141(अ) जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी, आप्रवासन ब्यूरो, जयगांव को 05.08.2021 से पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में जयगांव स्थित भूमि आप्रवासन चेकपोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5031/17/21]

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सुबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 31 जुलाई, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 80 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5032/17/21]

(4) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5033/17/21]

(6) (एक) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5034/17/21]

(8) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5035/17/21]

(9) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5036/17/21]

(10) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' (राजपत्रित) मंत्रालयीय पद भर्ती नियम, 2021 जो 4 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 530(अ)में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5037/17/21]

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, we want all discussions to take place and we want the Parliament to run. But Sir, sometimes some issues come up for immediate discussion. We wanted to discuss such an issue yesterday. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 4, सुश्री शोभा कारान्दलाजे जी।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, सुश्री शोभा कारान्दलाजे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

)2(उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण (1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दर्शाने वाला विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 5038/17/21]

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 5, श्री कैलाश चौधरी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आइटम नम्बर 6**,** श्री नित्यानन्द राय जी ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5039/17/21]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष जी**,** श्री अजय कुमार जी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता **हूं**:-

(1) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2021 जो 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएफएसयू/एडीएम/21 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5040/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5041/17/21]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 7, सुश्री प्रतिमा भौमिक।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप ही कर दीजिए। आप सभी मंत्रियों को समझा दीजिए। आप ही कर दें या मंत्री सदन में बैठें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आसन उनका इंतजार नहीं करेगा।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, सुश्री प्रतिमा भौमिक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2010-2011, 2014-2015, 2015-2016 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष -2010 2011, 2014-2015, 2015-2016 और के कार्यकरण की सरकार 2018-2017 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5042/17/21]

(3) (एक) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5043/17/21]

(5) (एक) सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5044/17/21]

(7) (एक) शैल्टर, हुगली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) शैल्टर, हुगली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5045/17/21]

(एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2013-14, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2013-14, 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5046/17/21]

(11) (एक) विश्वधर्म महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) विश्वधर्म महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5047/17/21]

(13) (एक) पीएमडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) पीएमडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5048/17/21]

(15) (एक) प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विशाखापटनम के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विशाखापटनम के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5049/17/21]

(17) (एक) वीमेन्स कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप, खोर्दा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वीमेन्स कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप, खोर्दा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5050/17/21]

(19) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस (रामकृष्ण मिशन नेत्रहीन बाल अकादमी), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल ब्रेल प्रेस (रामकृष्ण मिशन नेत्रहीन बाल अकादमी), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5051/17/21]

(21) (एक) सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5052/17/21]

(23) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5053/17/21]

(25) (एक) जिला दिव्यांगजन विद्यालय, झारसुगुडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला दिव्यांगजन विद्यालय, झारसुगुडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5054/17/21]

(27) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5055/17/21]

(29) (एक) शान्तिनिकेतन-रेजीडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शान्तिनिकेतन-रेजीडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5056/17/21]

(31) (एक) आन्ध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स, निजामाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स, निजामाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5057/17/21]

(33) (एक) वेलुगू, मदनपल्ली, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2010-2011 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगू, मदनपल्ली, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2010-2011 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5058/17/21]

(35) (एक) मूक और बधिर विद्यालय, मेरठ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मूक और बधिर विद्यालय, मेरठ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5059/17/21]

(37) (एक) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5060/17/21]

(38) (एक) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजयनगरम के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजयनगरम के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5061/17/21]

(40) (एक) फेथ-इंडिया, पलक्कड़ के वर्ष 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेथ-इंडिया, पलक्कड़ के वर्ष 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5062/17/21]

(42) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाडा के वर्ष 2010-2011 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाडा के वर्ष 2010-2011 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5063/17/21]

(44) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5064/17/21]

(46) (एक) भैरबी क्लब, खुर्दा के वर्ष 2010-2011 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भैरबी क्लब, खुर्दा के वर्ष 2010-2011 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5065/17/21]

(48) (एक) आश्रय आकृति, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आश्रय आकृति, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5066/17/21]

(50) (एक) एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, थौबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, थौबल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5067/17/21]

(51) (एक) कचाजुली फिजिकली हैंडीकैप्प्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2010-2011 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कचाजुली फिजिकली हैंडीकैप्प्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2010-2011 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5068/17/21]

(53) (एक) रेजीडेन्शियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेजीडेन्शियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5069/17/21]

(55) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5070/17/21]

(57) (एक) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसएबल्ड, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसएबल्ड, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5071/17/21]

(59) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5072/17/21]

(61) (एक) विश्वधर्म महिला मट्टू शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वधर्म महिला मट्टू शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5073/17/21]

(63) (एक) डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नलगोंडा, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नलगोंडा, के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5074/17/21]

(65) (एक) एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, पुरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, पुरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5075/17/21]

(67) (एक) सीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5076/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI NISITH PRAMANIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5077/17/21]

---

15 .05 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabah that the Rajya Sabha at its sitting held on the 29th November, 2021 agreed without any amendment to the Farm Laws Repeal Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29th November, 2021."

15.06 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table the following eight Bills passed by the Houses of Parliament during the Sixth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th July, 2021:

(i) The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2021;

(ii) The Coconut Development Board (Amendment) Bill, 2021;

(iii) The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021;

(iv) The Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021

(v) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021;

(vi) The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2021

(vii) The Appropriation (No.3) Bill, 2021; and

(viii) The Appropriation (No.4) Bill, 2021.

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following fourteen Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

(i) The Marine Aids to Navigation Bill, 2021;

(ii) The Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2021;

(iii) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021;

(iv) The Inland Vessels Bill, 2021;

(v) The Essential Defence Services Bill, 2021;

(vi) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021;

(vii) The Central Universities (Amendment) Bill, 2021;

(viii) The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021;

(ix) The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021;

(x) The Tribunals Reforms Bill, 2021;

(xi) The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021;

(xii) The National Commission for Indian System of Medicine (Amendment) Bill, 2021;

(xiii) The National Commission for Homoeopathy (Amendment) Bill, 2021; and

(xiv) The Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Bill, 2021.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 11, श्री राधा मोहन सिंह जी।

… (व्यवधान)

15.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
8th and 9th Reports

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण): महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. 'भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली' के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

2. 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

15.07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS

331st to 333rd Reports

SHRI RAJENDRA AGRAWAL (MEERUT): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth And Sports:-

(1) Three Hundred and Thirty-first Report on Reforms in Content and Design of School Text books;

(2) Three Hundred and Thirty-second Report on Action Taken by the Government on 325th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Youth Affairs and Sports; and

(3) Three Hundred and Thirty-third Report on Action Taken by the Government on 326th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Women and Child Development.

15.08 hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं:-

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No.LT 5028/17/21.

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development. *

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं:-

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No LT. 5029/17/21.

15.08 ½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
25th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to present the Twenty-fifth Report of the Business Advisory Committee.

15.08 ¾ hrs

HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2021*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 15, श्री किरेन रिजीजू जी।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 30.11.2021.

15.09hrs

MATTERS UNDER RULE -377*

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन जो भी मामले हैं, माननीय सदस्य सभा पटल पर रखें।

…(व्यवधान)

(i) Regarding development of Khadki Railway Station near Pune as a Terminal

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Pune is a major IT and education hub of India. Being an IT and education hub, the Pune railway station attracts passengers from every corner of the country, due to which it has become very crowded. Decongestion of Pune Railway Station is the need of the hour. Thus, it has become very necessary to develop nearby railway stations as terminals. The lack of space at Hadapsar Railway Station or Shivajinagar Railway Station is delaying their development as terminal and causing difficulties to the commuters. Khadki is an adjoining railway station which is situated in the centre of the Pune city and land is also available there for expansion. So there is a need to conduct study to be done by from the railway authorities to develop Khadki railway station as terminal.

I would request the Hon'ble Minister of Railways to instruct the railway authorities to explore the feasibility

* Treated as laid on the Table.

(ii)Need to provide railway connectivity between Left Wing affected areas of Gaya and Aurangabad districts in Bihar and Daltonganj in Jharkhand

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया एवं औरंगाबाद दो जिलों में विस्तृत है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये दोनों ही जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है यधपि विगत एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से इन आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं गृह मंत्रालय के विशेष प्रयासों के तहत सड़क निर्माण और सड़क संपर्कों की सघनता से जहाँ बेहतर सड़क संपर्कों से विकास दर को गति मिली है वही उग्रवाद पर लगाम कसना भी संभव हो सका है । दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिले गया - औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे है ।वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में डाल्टेंगंज को रेल सेवा से जोड़ा जाए ।रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।

(iii)Regarding enactment of a Law on Parja Patta Rights for Plantation Workers.

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Even as we celebrate 'Azadi ka Amrit Mahotsav', the tea and cinchona garden workers of Darjeeling hills, Terai and Dooars are forced to continue living a life of servitude under a feudalistic set-up. The British denied our workers Parja Patta rights, succeeding WB Governments have done the same.

In 2019, WB Govt granted 15% of tea garden lands to tea estate owners, making them the biggest landlords in North Bengal. Yet the State Government has refused to give workers their rights.

Much like Forest Rights Act enabling land rights for forest communities across the nation, I request the Union Government to enact a National Law which will guarantee Parja Patta rights for plantation workers.

(iv) Need to develop an airport in Sriganganagar, Rajasthan and provide air connectivity to the city under UDAN scheme

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): श्रीगंगानगर के लालगढ़ में हवाई पट्टी मौजूद है,जहाँ पर पूर्व में हवाई सेवा प्रारम्भ की गई थी, जोकि यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के बिना ही शुरू कर दी की गई थी, साथ ही हवाई पट्टी भी मानक स्तर की नहीं थी, जिस कारण वहां पर दुर्घटना हो गई थी और यहाँ से हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था।

यदि लालगढ़ में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, हवाई जहाज़ के चढ़ने व उतरने के लिए मूलभूत तकनीकी सुविधाओं युक्त 2000 से 2500 मीटर लम्बी व 50 से 60 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी युक्त एयरपोर्ट बनाया जाता है, तो इस क्षेत्र में हवाई यातायात की अपार संभावनाएं है,साथ ही यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत से रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते है।

अनुरोध है कि उड़ान योजना के अंतर्गत श्रीगंगानगर को हवाई मार्ग से जोड़ने, एअरपोर्ट पर तकनीकी सुविधाओं और मानक मापदंडों को स्थापित करने का कष्ट करें।

(v)Need to set up Skill Development Centres in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): मेरे लोकसभा क्षेत्र सागर में रोज़गार के अवसर न होने की वजह से यहाँ के युवाओं को रोज़गार हेतु अन्य शहरों में पलायन करना पड़ता है। साथ ही स्किल डेव्लपमेंट केंद्र न होने से यहाँ के युवाओं को रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त नही हो पा रहा है। फलतः यहाँ के युवा उच्च स्थानो में रोजगार के अवसर से वंचित हैं।

(vi)Need to set up a Cancer Treatment Institute in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के अलावा आसपास के 20 जिलों की गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभूतर्पूव प्रयासों के कारण आम जनमानस को काफी सहूलियत प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी व उ0प्र0 के परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी तथा केन्द्रीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र तथा पूर्वांचल के अन्य जिलों में कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धिकी ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के आस पास के 20 जिलों में कैंसर रोग का प्रकोप विगत के सालों में बड़ी तेजी से फैला है। ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका समय पर जांच व उपचार न होने के कारण मरीज की मौत हो जाती है, स्थानीय स्तर पर जांच और आधुनिक उपचार की अत्यंत आवश्यकता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में केन्द्रीय सहायता से एक कैंसर सस्थान की स्थापना की जायेजिससे यहां के रोगियों को जांच व उपचार हेतु दिल्ली, मुम्बई अथवा अन्य शहरों में न जाना पड़े।

(vii)Need to improve health care system in tribal areas of the country

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिए भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती है। आज दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल कर लिया है परंतु इसके बावजूद जनजातीय समुदाय के लोग देश के पिछड़े एवं सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन-यापन कर रहे हैं और कई समस्याओं को झेल रहे हैं।

हालांकि सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन शासन के कार्यों में और ज्यादा प्रभावी बदलाव की जरूरत है जिससे योजनाओं का लाभ जनजातियों तक पहुंचाया जा सके। देश के आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना तथा देश के दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के लिए आधुनिक दवाइयों का प्रबंध कर पाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। हम सभी जानते हैं कि स्त्रियाँ सृजन एवं जीवन चक्र के बीच धुरी है। ऐसे में जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों का बदहाल स्वास्थ्य हताशा और कुंठा पैदा करता है । आज भी देश के सुदूर एवं पिछड़े आदिवासी क्षेत्र की स्त्रियाँ, बच्चे और वृद्धजन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं से काफी दूर हैं । देश में महामारी के एक लंबे दौर ने जनजातियों की स्वास्थ्य चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ही कुशल प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा त्वरित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ठोस प्रबंध किया जाये जिससे बीमार पड़ने पर उन्हें दूर शहरों में इलाज हेतु न भागना पड़े। इसके साथ ही स्वास्थ्य जनजागरण अभियान भी चलाया जायें तभी देश के आदिवासी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकेगी।

(viii)Need to provide funds for development of Mahatma Gandhi Prani Sangrahalaya, Solapur, Maharashtra

डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर) : मै माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर मे प्राणी संग्रहालय की अति आवश्यकता हैं । 97.5 एकड़ क्षेत्र मे सोलापुर महानगरपालिका अंतर्गत महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय कार्यरत है । प्राणी संग्रहालय केंद्रीय प्राणी संग्रहालय के अंतर्गत मौजूद हैं। केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण से 7.7 करोड रूपये अनुदान प्राप्त हुआ है । प्राणी संग्रहालय विकसित करने हेतु केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण से अपेक्षित निधि न मिलने के कारण प्राणी संग्रहालय सही रूप से विकसित नही हो पा रहा है। सोलापुर शहर के पचास किलोमीटर की परिधि मे एक भी प्राणी संग्रहालय नही है । आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य से सटे सोलापुर शहर का निर्माण स्मार्ट सिटी के रूप मे होने के कारण यहाँ प्राणी संग्रहालय की अत्यंत आवश्यकता हैं । अतः मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय सोलापुर के विकास हेतु अपने विभाग द्वारा दस करोड़ रुपये की धनराशि विशेष अनुदान के रूप मे देकर इस संग्रहालय को विकसित करें।

(ix)Need to implement Atal Bhujal Yojana in Dausa district, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): अटल भूजल योजना स्वीकृत हुए दो वर्ष होने जा रहे हैं। सम्पूर्ण दौसा जिला इस योजना में स्वीकृत है। आज तक भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाना गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

मेरा संपूर्ण संसदीय क्षेत्र डार्क जोन में है। ऐसी स्थिति में इस योजना का महत्व और भी अधिक है। कृपया राज्य सरकार को शीघ्र क्रियान्वयन हेतु कहा जाना आवश्यक है। भारत सरकार की योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जावे।

(x)Regarding alleged irregularities in construction of NH-91 in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-91 (बिल्हौर-चौबेपुर-शिवराजपुर-कनौज) का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं लोक सभा में और मंत्रालय स्तर तथा एन0एच0ए0आई0 के सम्बद्ध अधिकारियों से अनुरोध कर चुका हूं कि बरसात के दिनों में उक्त सड़क के निर्माण कार्य को अविलम्ब रूकवाकर निर्माण कार्य में उपयोग में लायी जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय तकनीकी समिति से करवाकर दोषी अभियंताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए।

लेकिन दुःख है कि बरसात के दिनों में निर्माण कार्य जारी रहने के कारण सड़क पर जो मिट्टी डाली गई थी वह पानी में बहकर रास्तों पर आने के परिणामस्वरूप आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा अब स्थिति यह है कि आवागमन में काफी दिक्कत आ रही है और निर्माण सामग्री भी कथित रूप से घटिया स्तर की उपयोग में लायी जा रही है। यह सब कार्यदायी संस्था तथा एन0एच0ए0आई0 के अभियंताओं/अधिकारियों की कथित मिलीभगत से हो रहा है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 91 के निर्माण कार्य में मिट्टी का घनत्व भी ठीक नहीं है तथा गिट्टी का साइज भी मानक के अनुरूप नहीं है और सड़क निर्माण के कार्य हेतु जिन किसानों की भूमि से मिट्टी ली गई है, उसको अधिक मात्रा में निकाला गया है और साथ ही किसानों की सहमति के बगैर ही रात्रि के समय में उनकी भूमि से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया

गया है जिससे न केवल स्थानीय किसानों में नाराजगी है बल्कि ग्रामों के सम्पर्क मार्ग भी खराब हो गए हैं।

एन०एच०ए०आई० के संबंधित अभियंताओं । अधिकारियों के चलते मुझे स्वयं भी अपने संसदीय क्षेत्र की बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आवागमन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यही स्थिति क्षेत्र के अन्य लोगों की भी है।

अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के निर्माण कार्य में हो रही कथित अनियमितताओं और उपयोग में लायी जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा उपर्युक्त तथ्यों की जांच मंत्रालय स्तर पर केन्द्रीय तकनीकी समिति से करवाए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

(xi) Regarding policy for fly ash management

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): फ्लाई ऐश एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ है जो स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं के कारण जाना जाता है, इसमें सीसा, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम और यूरेनियम हो सकता है। फ्लाई ऐश जब जल निकायों के साथ मिल जाती है तो जलीय कृषि को दूषित कर सकती है और भूमि में रिस सकती है, जिससे कृषि भूमि और पीने के पानी की विषाक्तता हो सकती है। फ्लाई ऐश संदूषण संभावित रूप से हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर और स्ट्रोक को ट्रिगर कर सकता है। हाल ही में, उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (NCTPS) की फ्लाई ऐश कोसस्थलैयार नदी में मिली है। भारत हर साल सुंदरबन जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश को लगभग 30 लाख टन फ्लाई ऐश का निर्यात करता है लेकिन फ्लाई ऐश फैलाने से निपटने के लिए बहुत कम सावधानियां हैं। इसलिए, सरकार को फ्लाई ऐश के उपयोग और विनियमन के लिए एक ठोस योजना के साथ आना चाहिए।

(xii) Regarding chairman of governing council of District Mineral Foundation in Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): खान और खनिज (विकास और विनियमन), अधिनियम 1957 के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन (डिस्ट्रिक मिनिरल फाउंडेशन) की स्थापना की गई है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने एफ.नं. 7/9/2021-एम 4, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के माध्यम से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश निर्गत किए हैं कि जिला खनिज फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष सम्बद्ध जिले का जिला कलेक्टर होगा।

लेकिन, खेद है कि केन्द्र सरकार के उपर्युक्त आदेश का राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है तथा राज्य सरकार सम्बद्ध जिलो में जिला खनिजफाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष राज्य के पालक मंत्री को नियुक्त कर केन्द्रीय शासनादेश का घोर उल्लंघन कर रही है, जो उचित नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकारों विशेषत: महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के उपर्युक्त आदेश का क्रियान्वयन किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि केन्द्र सरकार जिला खनिज फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष जिला कलेक्टर के स्थान पर सम्बद्ध जिले के लोक सभा जन-प्रतिनिधि को नियुक्त किए जाने के दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाएं।

(xiii)Need to accord approval to Jawai dam recharge plan in Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मै सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के पाली जिले के प्रमुख जल स्त्रोत जंवाई बांध के पुनर्भरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ| पाली जिले मेंजंवाई बांध ही पीने एवं सिचाई का प्रमुख स्रोत्र है | जंवाई बांध की कुल भराव क्षमता 7327 एम.सी.एफ.टी हैजो कि पिछले 30 सालो में मात्र 6-7 बार अपनी भराव क्षमता तक पहुच पाया है | बांध की निर्भरता पूर्ण रूप से बारिश पर ही निर्भर है । बरसात से बांध में एकत्र होने वाला पानी केवल पीने के पानी की मांग को पूरा करने में मुश्किल से सक्षम हो पा रहाहै । पाली जिले की मांग वर्तमान स्तरों के साथ पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि बांध मे पानी की औसत आवक 3800 एम.सी.एफ.टी है और जिले की मांग पीने व सिंचाई के लिए क्रमशः 3500 और 4500 एम.सी.एफ.टी है । किसी वर्ष बारिश नहीं होने पर पूरा पाली जिला एकदम सूखे की स्थिति में पहुचं जाता है, दो वर्ष पूर्व पाली में पेयजल संकट को दूर करने के लिए वाटर ट्रेन चलाने की भी आवश्यकता पड़ी। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण किसान यूनियनों द्वारा साबरमती वाकल और पामेरी नदियों के पानी से बांध में जल स्तर बढ़ाने हेतु विरोध लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। जंवाई बांध से पानी को ले जाने के लिए खूब योजनाए बनाई जाती है लेकिन आज तक इसके पुनर्भरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है।

WAPCOS Ltd. द्वारा जारी संशोधित डीपीआर में साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के डायवर्सन से जवाई बांध को भरने की योजना बारें में बताया गया । उन्होंने कहा कि इस काम को दो भागो में किया जाना है और कुल अनुमानित लागत राशि 6521.84 करोड़ रूपये लगेगी । इस परियोजना से पाली जिलेके 787 गांवो, 9 शहरों और सिरोही जिले के अन्य शहरों और गांवों में पानी की आपूर्ति में मदद मिलेगी।

मैं जल शक्ति मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहूँगा कि साबरमती बेसिन के अधिशेष प्रवाह अरब सागर में व्यर्थ जाता है। इस अधिशेष जल को जवाई नदी की ओर मोड़ दिया जा सकता है। इससे पाली, जालोर, सिरोही और अन्य आसपास के शहरों में पीने के पानी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि पश्चिमी राजस्थान की पीने व सिंचाई के पानी सम्बन्धी गम्भीर समस्या से निपटने हेतु जंवाई बांध पुनर्भरण परियोजना को जल्द से जल्द सहमति प्रदान करने की कृपा करावें ।

(xiv)Need to set up a bench of Gujarat High Court at Rajkot

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): सौराष्ट्र की आबादी करीबन 2.5 करोड है, और सौराष्ट्र में हाई कोर्ट की बेंच नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने अदालती कार्यों हेतु गाँधीनगर जाना पड़ता है जबकि गांधीनगर हाई कोर्ट में करीबन 45 प्रतिशत केस सौराष्ट्र एरिया से होते हैं और अपने केस हेतु पक्षकारो को राजकोट सहित सौराष्ट्र के अन्य जिलों से गांधीनगर जाने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है ।

वर्तमान में गुजरात में एक भी हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच नहीं है अगर राजकोट में हाई कोर्ट के डिवीज़न बैंच देने की मंजूरी मिलती है तो सौराष्ट्र के अन्य जिलो यथा मोरबी, जूनागढ़, जामनगर, अमरेली, भावनगर और सुरेंद्रनगर के पक्षकारो को भी अपने केस के लिए गांधीनगर के बजाये राजकोट ज्यादा नजदीक होगा ।

अतः मैं सरकार से गुजरात हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच, राजकोट में दिए जाने की सौराष्ट्र की जनता की मांग सरकार के समक्ष रखता हूँ।

(xv)Need to augment railway services providing better rail connectivity from Jamshedpur to other adjoining cities

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि झारखण्ड राज्य के जमशेदपुर (टाटानगर) सहित आस-पास के कई शहर अविभाजित बिहार का एक अभिन्न अंग रहे थे । यही कारण है कि इन क्षेत्रों में उत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यहां पर बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इस बड़ी आबादी के लिए टाटानगर से बक्सर अथवा पं० दीनदयाल उपाध्याय जक्शन के मार्ग में कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मैने पूर्व में भी अनेकों बार पत्राचार किया है तथा रेलवे के विभिन्न स्तरों पर भी मामले को रखा है। परंतु हर बार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रेलवे के अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए निम्नांकित रेल सेवाओं का विस्तार बक्सर या पं० दीनदयाल उपाध्याय जं० तक किया जा सकता है।

1) टाटानगर दानापुर ट्रेन संख्या 18183/18184

2) साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13287/13288

3) पटना बिलासपुर ट्रेन संख्या 22844,

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि यथाशीघ्र जनहित में उपरोक्त रेल सेवाओं का विस्तार करने की कृपा करें अथवा टाटानगर से बक्सर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय जं० तक एक नई सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने की कृपा करेंगे।

(xvi) Regarding paddy procurement by Government in Assam

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): The paddy harvest season is presently underway in Assam, but farmers are still left wanting for remunerative pricing. Assam has been one of the top 10 rice-producing states in India, with optimal climatic and soil conditions for paddy cultivation, but due to inadequate government procurement, only 0.2% of paddy farmers avail MSP. As per FCI data, in 2019-20, Assam produced 50.98 LMT of rice, out of which only 2.11 LMT was procured, while Haryana with a similar quantum of production at 48.24 LMT benefitted from procurement of 43.07 LMT. If the people of Assam and the Northeast at large can avail PMGKY and FSA guaranteed rice from Assam's surplus paddy itself, Assam's farmers would be ensured remunerative prices for their paddy while also ensuring savings on transportation cost of rice, usually dispatched from Punjab or Haryana. I strongly urge for Government intervention in this regard.

(xvii) Regarding extension of the Pollachi-Thiruchendur Train Service Upto Palakkad and Pollachi-Palakkad Train Service upto Palani

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): The Pollachi-Thiruchendur-Palakkad train was a great help to the pilgrims from Kerala, especially from Palakkad district to the Palani, Mathura, Thiruchendur Temples which are various pilgrim centres in south India. In addition, this train was a great help to those who were going from various centres of Kerala to Tamil Nadu for various jobs and other activities. The train had been stopped for a long time during the crisis of Covid-19 and is going to be restarted soon. It is learned that the service will start excluding Kerala. As there is no train from Palakkad to Palani or Rameswaram during the day time, the extension of Pollachi train to Palani will be very beneficial to the people of Kerala, especially for Palakkad. So I humbly request the Government to consider the above grievances and sanction the extension of the Pollachi-Thiruchendur train service upto Palakkad and also request to extend the Pollachi-Palakkad train service up to Palani for the benefit of Public of Palakkad district in Kerala.

(xviii) Regarding construction of an Over-Bridge at Valliyur-Rajapudur Crossroad

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): In my constituency, Valliyur-Rajapudur road traverses towards West of the Kanniyakumari-Tirunelveli National Highway. People living in more than 100 villages situated in and around Valliyur have to use this National Highway, towards west, to have access to Government Hospital, Regional Transport Office and other facilities. Moreover, Villages like Rajarathnam Nagar, EB - colony, Housing Units, Samthuvapuram, Shanmugapuram, Kesavaneri are also located around this *area.* Students have to travel across this National Highway to go to Schools located in Valliyur and People have to go across this National Highway to get banking, postal facilities as well as to buy essential household commodities. People get de-boarded from long-distance buses coming from places like Chennai, Bengaluru, Ooty, Coimbatore and Ooty. Due to heavy traffic in this area, accidents take place very frequently resulting in loss of lives Therefore, crossing this National Highway has become a risky affair.

I request the Government to allocate adequate funds for construction of an over-bridge at the Valliyur-Rajapudur crossroad passing through this Kanniyakumari Tirunelveli National Highway to prevent loss of lives in accidents and also to provide benefit people living in more than 100 villages in and around Valliyur.

(xix) Regarding sanctioning of ENCORE Project in Andhra Pradesh

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): ENCORE (Enhancing Coastal and Ocean Resource Efficiency) Project provides sustainability to the coastal population. Coastline of A.P is the second longest coastline with a length of 975 KM, next to Gujarat.

Due to Cyclones every year, huge destruction of the coastal area along Uppada &Konapapapeta villages is witnessed with loss of property, life & livelihood of the coastal people. Irrespective of full moon or no moon, coastal waves damaging the coastal areas and as a result beach road is being eroded continuously.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change has considered the projects for Rs,180.OO cr for AP. ENCORE Phase-I has already been approved at the Ministry level & placed before the Cabinet Committee of Economic Affairs for final approval.

Hence, Hon'ble P.M is requested to initiate positive steps for early sanction of ENCORE project in A.P for protection of coastal areas.

(xx) Regarding withdrawal of notification to extend BSF’s jurisdiction

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The West Bengal and Punjab Legislative Assemblies passed resolutions against the Centre’s move to extend BSF’s jurisdiction to 50 km from the international border. Notification is against the federal structure of Indian constitution and to infringe upon the federal authority of state and put pressure on the competence of the state police to maintain law and order. West Bengal shares international borders with Bangladesh, Bhutan and Nepal. The revised notification will bring “nearly one-third of the state, and most parts of the geopolitically sensitive northern Bengal, under the jurisdiction of the BSF”. There have already been instances of lack of coordination between the BSF and State Police, that the BSF's increased limit might lead to a greater suspicion among state police due to jurisdictional and operational ambiguity. I urge upon the Government to withdraw the above notification to maintain a healthy Centre-state relation for the overall progress of the country.

(xxi) Regarding sanctioning of fund for Mumbai city and Sanjay Gandhi National Park under the Urban Forest Scheme

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): It is a privilege that I have got the opportunity to express my views on an important issue.

A few months ago, there was heavy destruction in some parts of the country due to the storm Toukte. Mumbai had also come in the grip of this storm. More than 5 thousand trees of Mumbai have been destroyed in the storm. Several civilians including vehicles were seriously injured. Many trees of Sanjay National Park located in Borivali, East Mumbai have been completely destroyed. It is very important to plant new trees here. The Maharashtra Government has declared 812 acres land of Mumbai suburban Goregaon east as a forest. Here too, early afforestation has become very necessary.

I request the concerned minister to sanction 100 crores fund for Mumbai city and Sanjay Gandhi National Park under the urban forest scheme of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(xxii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Arwal district in Bihar

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में अरवल जिला स्थित है। आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी वहां एक केंद्रीय विद्यालय नही है। वहां के लोग विकास और शिक्षा में अव्वल होना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को भरपूर मदद मिल रही है। नई शिक्षा नीति भी लागू है। ऐसे में वहां भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होना नितांत आवश्यक है।मेरा केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि बिहार के अरवल जिले में सभी तकनीकी एवं अन्य बाधाएं दूर करते हुए एक केद्रीय विद्यालय स्थापित करने की कृपा करें।

(xxiii) Regarding consideration of Sonepur as Shipping Port in Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): Shipping, the most economical means of transport for the transportation of raw materials, finished products, in terms of volume, attracts big industries giving impetus to the promotion of industry, trade and commerce.

There were regular coastal shipments from Sonepur up to 1768. It is estimated that out of 200 cargo ships in all the ports of Ganjam, only 20 ships came calling for freight in 1787. One of the hindrances for the growth of Sonepur Port was restriction on trade. Heavy duty was levied on goods and grains. Another cause of the decadence of the Port was that the Bahuda river which falls into the Sea, creates sandy bars which obstructed shipping.

Over a period of time and current globalization scenario all these issues have no meaning. I, therefore, request the Minister of Ports, Shipping and Waterways to consider Sonepur as Shipping Port. This will lead to the development of Sonepur and create employment, business opportunities among the people.

(xxiv) Regarding conservation of ancient genetic diversity in crops and animals

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Academic studies conducted on the impact of climate change on agriculture have shown rising temperatures which will result in 10-40% reduction in crop production by 2080–2100, and for every 1ºC rise in temperature, wheat production will reduce by 4-5 million tonnes. Yields of milk and crops like rice, mustard, peas, and tomato will also reduce. With climate change-induced increases in incidences of droughts and floods, exposure to pests and diseases, and a growing dependency on agricultural incomes, the agrarian crisis is only set to get worse. Although the country has taken some steps towards mitigation like the National Mission for Sustainable Agriculture, NICRA, and National Mission on Seeds, it is crucial to upscale low-technology, cost-effective efforts to conserve ancient genetic diversity in crops and animals by sustained efforts to engage with the knowledge of local communities – a treasure trove of wisdom being lost to modern methods of agricultural production.

(xxv) Regarding allocation of special fund for Rameswaram to enhance Tourism potential

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Rameswaram is a historical pilgrimage centre and is famous for its Ramanathaswamy temple which is considered as a holy worship place for all Hindus. Devotees visit this holy shrine from all over India in large number and even from across the Globe. Unfortunately, Rameswaram is lacking in basic Infrastructure.

It is my humble request to the Union Government to allocate additional special fund for improving the Infrastructure and attract more Tourists.

(xxvi)Need to expedite Parasnath-Madhuban Giridih railway line project

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): झारखण्ड के गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सिद्धक्षेत्र श्री सम्मेदशिखरजी जैनों का अति प्राचीन सर्वोच्च तीर्थक्षेत्र है, जहाँ पर यात्री पूरे भारतवर्ष से तीर्थवंदना के लिए आते हैं।

भारत सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में पारसनाथगिरिडीह रेलला-मधुबन-इन परियोजना के अंतर्गत् पारसनाथ स्टेशन से मधुबन हुए गिरिडीह तक लगभग 902 करोड़ 86 लाख की लागत से बिछाने की घोषणा की गई थी।

पारसनाथ स्टेशन से गिरिडीह रेल लाइन का शिलान्यास 4 मार्च 2019 को हो गया था ,परंतु फंड की उपलब्धता ना होने से अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। पिछले 3 वर्ष से तीर्थ यात्रियों की घटती संख्या के कारण पूरे आसपास के क्षेत्रों में रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है तीर्थ यात्रियों को भी आने में असुविधा महसूस हो रही है और रेल लाइन जोड़ने से तीर्थयात्री को पहुंचने में बहुत ही सहुलियत होगी और रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा ।

(xxvii) Regarding construction of a warehouse of Central Warehousing Corporation in Kollam district

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The Central Ware Housing Corporation is targeted to construct about 415 ware houses for storage of 101.44 Lakh Metric Ton of food items in its initial phase. The Corporation proposes to construct a ware house in Kollam District. Kollam is a District in which no warehouse for Central Warehousing Corporation. Sufficient suitable land is available in Kollam District for the construction of ware house. An extent of 27Acres and 6 Ares of landed property vested with HPCL at Edapallycottah, Kollam is suitable for construction of ware house. The property is situated in the prime location adjacent to National Highway. It is an ideal property for the proposed warehouse. HPCL and CWC are Government of India Undertakings.

Hence I urge upon the Government to initiate action for implement a project including Construction of warehouse of the Central Ware Housing Corporation in the land at Edapallycottah.

15.10 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
164th Report

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, I rise to lay on the Table the 164th Report* (Hindi and English versions) on the subject 'Augmenting Infrastructure Facilities to Boost Exports' of the Standing Committee on Commerce. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप अपने-अपने आसन पर जाकर बैठें। महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है, आप चर्चा में भाग लें। सदन चर्चाओं के लिए है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि चर्चा होनी है। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

---

*The Report was presented to Hon. Chairman, Rajya Sabha on 11th September, 2021 when the House was not in session. A copy of the Report was also forwarded to Hon. Speaker, Lok Sabha.

15.11 hrs

At this stage, Shri Nama Nageswara Rao went back to his seat.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बहुत दिक्कत है। पिछले सात दिनों से किसानों की पेडी को प्रोक्योर नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह से हम लोग अपोजिशन में आ रहे हैं। हमारी रिक्वैस्ट है कि अगर गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है, तब हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए। आज के दिन हमारे तेलंगाना के किसानों की पेडी को प्रोक्योर नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट इधर एक बात कर रही है और तेलंगाना में जाकर दूसरी बात कर रही है। यह द्वंद्व नीति चल रही है। मेरी रिक्वैस्ट है कि अगर गवर्नमेंट स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात मैंने सुन ली है। आप सीट पर बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : सर,आप गवर्नमेंट को बोल दें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अपनी सीट पर जाकर बैठिए, प्लीज। मैंने आपको मौका दे दिया है। मैंने आपके नेता को पर्याप्त समय और पर्याप्त मौका दिया है।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। सदन व्यवधान करने के लिए नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, हम गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने के लिए आपके माध्यम से रिक्वैस्ट कर रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :क्या आप सदन इस माहौल में चलाना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर**,** मंत्री जी का स्टेटमेंट कराने दीजिए। मंत्री जी स्टेटमेंट कर दें तो यह लोग शांत हो जाएंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। प्लीज आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आ रही है।

…(व्यवधान)… *

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : हाउस ऑर्डर में आएगा तभी मैं विधेयक पर चर्चा करवाऊँगा। कल भी मैंने कहा था कि हाउस ऑर्डर में आएगा तो मैं चर्चा करवाऊँगा। आज भी हाउस ऑर्डर में आएगा तो मैं चर्चा करवाऊँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 01, 2021/Agrahayana 10,1943 (Saka)

____

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)